अतारांकित विधान सभा प्रश्न

विभाग का नामः आबकारी एवं कराधान

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1227

उत्तर की तिथिः 17.09.2020

सम्बंधित मंत्रीः माननीय मुख्यमन्त्री

प्रश्न पूछने वाले का नामः मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)

विषयः – जी०एस०टी० भरपाई

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. में आई कमी की 2022 तक भरपाई की अपनी बचनबद्धता से इंकार कर दिया है;	जी नहीं ।
(ख)	क्या केन्द्र ने प्रदेश को जी०एस०टी० भरपाई देने को बजाए कर्ज लेने के निर्देश दिए हैं;	जी०एस०टी० कौंसिल की 41वीं बैठक में जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा में इसके दो विकल्पों पर मंथन हुआ था । यह दोनों विकल्प अभी जी०एस०टी० कौंसिल के विचाराधीन हैं ।
(ग)	इस वर्ष जी०एस०टी० भरपाई की कितनी धनराशि केन्द्र से अनुमोदित थी; और	वित्त वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार का संरक्षित राजस्व 6998 करोड़ रूपए है । वर्ष में प्राप्त राशि तथा संरक्षित राजस्व में जो भी अन्तर होगा, उसकी क्षतिपूर्ति के तौर पर भरपाई की जाएगी।
(घ)	क्या इस वित्तीय वर्ष में जी०एस०टी० की कोई धनराशि केन्द्र से प्राप्त हुई है ?	वित्त वर्ष 2020–21 में 1007 करोड़ रूपए की राशि की भरपाई क्षतिपूर्ति (as arrears) के अन्तर्गत हुई है ।

***